न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 99/2019 अपील (GCMS/2019/00122)

पंजीयन दिनांक - 21.11.2019

निर्णय दिनांक - 03.11.2020

1. श्री अमृतलाल पिता श्री लालूलाल खटीक, निवासी मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती झमकु पुत्री श्री नाथु, पत्नि श्री रता जी मेघवाल, निवासी गांव करगेट, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती भंवरी पुत्री श्री नाथु, पत्नि श्री मांगीलाल मेघवाल, निवासी भल्लो का गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री बाबूडा पिता श्री नाथू मेघवाल, निवासी गांव खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर मृतक के बजाय उसके वारिसान-

   3.1. श्रीमती लक्ष्मी मेघवाल पत्नि श्री बाबुडा मेघवाल

   3.2. श्री रोशन मेघवाल पुत्र स्व.श्री बाबुडा मेघवाल

   3.3. श्री तरूण मेघवाल पुत्री स्व.श्री बाबुडा मेघवाल

   3.4. जशोद मेघवाल पुत्री स्व. श्री बाबुडा मेघवाल

   सर्व निवासी-गावं खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती गीता पुत्री श्री नाथु, पत्नि श्री तेजराम मेघवाल, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
6. पटवारी, पटवार हल्का खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी
2. श्री सी.पी. गोस्वामी - वकील प्रत्यर्थी-1 व 2
3. श्री कुलदीप टांक - वकील प्रत्यर्थी-3/1 से 3/3

प्रकरण संख्या-172/2014, में श्रीमती झमकु वगैरा बनाम श्री बाबुडा वगैरा में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2018 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 03.11.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-172/2014, में श्रीमती झमकु वगैरा बनाम श्री बाबुडा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 श्रीमती झमकु व श्रीमती भंवरी ने तहसीलदार, मावली द्वारा ग्राम जुनावास के नामान्तरकरण संख्या-92 दिनांक 05.2.1993 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की और निवेदन किया कि उसकी (श्रीमती झमकु, भंवरी, गीता व श्री बाबुडा) की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम जुनावास पटवार मण्डल खेमली में स्थित है, जो पूर्व में उनके पिता श्री नाथु पिता श्री गणेश मेघवाल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। श्री नाथु की मृत्यु के उपरान्त तहसीलदार, मावली द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या-92 दिनांक 05.02.1993 मात्र पुत्र श्री बाबुडा के नाम पर स्वीकृत किया जबकि श्री नाथु के विधिक वारिसान में उसकी तीनों पुत्रियां भी है, जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण समान हिस्से अनुसार खुलना चाहिये। उक्त भूमि में कुछ भाग को श्री बाबुडा द्वारा कृषि से आबादी में संपरिवर्तन करा अन्य लोगों को नुमाईशी तौर पर विक्रय कर दिया और राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण के नाम दर्ज हो चुकी है। श्री बाबुडा द्वारा कराया गया भू-रूपान्तरण एवं हस्तान्तरण हम पुत्रियों के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है, अतः आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-92 निरस्त फरमाया जावें।

- अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 04.06.2018 से आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-92 निरस्त करते हुए तहसीलदार, मावली को प्रकरण इस आशय के साथ पुनः प्रेषित किया कि वह पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार स्वर्गीय नाथु पिता श्री गणेश के वैध वारिसानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करें।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2018 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 18.11.2019

को प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दिनांक 21.11.2019 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी, वकील प्रत्यर्थी-1, 2 व 3/1 से 3/3 उपस्थित, जिनकी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी., प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं गुणावगुण पर बहस दिनांक 28.10.2020 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि रेस्पोडेंट संख्या-3 श्री बाबुडा द्वारा ग्राम जुनावास तहसील मावली, जिला उदयपुर की नामान्तरकरण संख्या-92 से दर्ज भूमि जिनके आराजी नम्बर 3329, 3331, 3476, 3478, 3486, 3492, 3495, 3496, 3498, 3499 आदि है, को अलग अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के जरिये अपीलान्ट व अन्य को विक्रय कर दिया गया था और अन्य खरीददारों से भी उनके हिस्से को अपीलान्ट द्वारा खरीदा गया और क्रय की गई भूमि पर अपीलान्ट काबिज होकर उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम पर खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुकी थी, उक्त जानकारी रेस्पोडेंट संख्या-1 व 2 को होते हुए भी उनके द्वारा अपीलान्ट को जानबुझ कर अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया और अपने भाई रेस्पोडेंट संख्या-3 बाबूडा से मिलीभगत से उक्त अपील का अपने हक में निस्तारण करा लिया गया। उक्त जमीन अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित थी, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में एक आवश्यक पक्षकार था, जिसका पक्ष भी सुना जाना अति आवश्यक था। न ही अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष सही व वास्तविक स्थिति रख पाया, न रेस्पोडेंट संख्या-1 व 2 व उसके भाई द्वारा सही स्थिति प्रस्तुत की गई। जिससे मिलीभगत प्रमाणित होती है। अपीलार्थी द्वारा जमीन खरीदनें के बाद उक्त भूमि को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से आवासीय रूपान्तरित करवाया गया, जिसके सम्बन्ध में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा धारा-90ए की कार्यवाही कर आदेश पारित किये गये और अपीलार्थी के पक्ष में पट्टे जारी किये गये। अखबार में भी नोटिस साया करवाये गये, जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट 1 व 2 को भी थी फिर भी गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पोडेंट संख्या-1 व 2 ने 21 वर्षों बाद अपील प्रस्तुत की जिस विरोध में श्री बाबुडा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ और अधीनस्थ न्यायालय ने भाई बहनों के मिलीभगत को नजरअंदाज करते हुए 21 वर्षों के असाधारण विलम्ब को

कन्डोन करने मे भारी भूल की है। विवादित भूमि नामान्तरकरण संख्या-92 के उपरान्त कई चरणों में विक्रय होते हुए वर्तमान में अपीलार्थी के नाम दर्ज हुई। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है इसमें कोई हक व अधिकार तक नहीं किये जा सकते इसके लिये रेस्पोडेंट संख्या-1 व 2 को समक्ष न्यायालय से अपने हक व अधिकार तय कराने थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया। चुंकी आलौच्य आदेश दिनांक 04.06.2018 में अपीलार्थी को पक्षकार नही बनाया गया जिससे उसको निर्णय की जानकारी नहीं होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का स्वीकार योग्य है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि अपीलार्थी द्वारा क्रय किये जाने से उसके नाम दर्ज है, आलौच्य आदेश दिनांक 04.06.2018 अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया जबकि अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति है, अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का स्वीकार योग्य है। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04. 06.2018 को अपास्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या-92 को बहाल रखने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया है। अपने कथनों समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत-2015 डीएनजे (रेवेन्यु) 202 प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है एवं मयाद क्षमा करने बाबत प्रस्तुत कारण संतोषजनक एवं विश्वसनीय नहीं है। मयाद क्षमा करने बाबत प्रस्तुत कथनों के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। श्रीमती झमकु, भंवरी, गीता व श्री बाबुडा की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम जुनावास पटवार मण्डल खेमली में स्थित है, जो पूर्व में उनके पिता श्री नाथु पिता श्री गणेश मेघवाल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। श्री नाथु की मृत्यु के उपरान्त तहसीलदार, मावली द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या-92 दिनांक 05.02.1993 मात्र पुत्र श्री बाबुडा के नाम पर स्वीकृत किया जबकि श्री नाथु के विधिक वारिसान में उसकी तीनों पुत्रियां भी है, जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण समान हिस्से अनुसार खुलना चाहिये। उक्त भूमि में कुछ भाग को श्री बाबुडा द्वारा कृषि से आबादी में संपरिवर्तन करा अन्य लोगों को नुमाईशी तौर पर विक्रय कर दिया और राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण के नाम दर्ज हो चुकी है। श्री बाबुडा द्वारा कराया गया भू-रूपान्तरण एवं हस्तान्तरण हम पुत्रियों के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है, आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-92 निरस्त किया जाना आवश्यक था। अपीलार्थी द्वारा क्रेता

सावधान वाले सिद्वान्त को नजरअंदाज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिक एवं कानूनन उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-3/1 से 3/3 द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण को पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अभिलेख अनुसार गुणावगुण पर निस्तारित किया जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं दौराने अपील प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर परिशीलन किया।

यहा सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. पर भी विवेचन किया जाना उचित होगा। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का संलग्न कर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि अपीलार्थी द्वारा क्रय किये जाने से उसके नाम दर्ज है, आलौच्य आदेश दिनांक 04.06.2018 अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया जबकि अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति है, अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा. दी. का स्वीकार योग्य है। हम अपीलार्थी के कथन से संतुष्ठ है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पंजीकृत विक्रय विलेख एवं राजस्व अभिलेख की प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त दस्तावेजों के परिशीलन से अपीलार्थी हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। दौराने बहस, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-1, 2 व 3/1 से 3/3 द्वारा भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

जहा तक मयाद के बिन्दु का सम्बन्ध है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर. डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality

of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s. 5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से वर्तमान खातेदार होने से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकनानुसार प्रथम दृष्टया वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात मुल पुरूष श्री नाथु पिता श्री गणेश मेघवाल के नाम खातेदारी की थी। श्री नाथु के एक पुत्र श्री बाबुडा एवं तीन पुत्रियां श्रीमती झमकु, भंवरी एवं गीता है। श्री नाथु के स्वर्गवास उपरान्त तहसीलदार, मावली द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या-92 दिनांक 05.02.1993 को श्री बाबुडा के नाम स्वीकृत किया गया। श्री बाबुडा द्वारा अपने नाम खातेदारी भूमि में भूमि का बेचान विभिन्न व्यक्तियों को किया गया जिसका राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण के नाम अंकन किया जाना प्रकट होता है। क्रेतागणों द्वारा क्रय की गई भूमिओं का संपरिवर्तन कराया गया। इन क्रेतागणों द्वारा पुनः भूमि को बेचान अपीलार्थी व अन्य लोगों को किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि का नगर विकास प्रन्यास से धारा-90ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत संपरिवर्तन कराया गया। अपीलार्थी एवं अन्य क्रेतागण के नाम पट्टे जारी हुए जिसकी प्रतियां दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-92 दिनांक 05.02.1993 के 21 वर्षों बाद अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 04.06.2018 से आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-92 निरस्त करते हुए तहसीलदार, मावली को प्रकरण इस आशय के साथ पुनः

प्रेषित किया कि वह पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार स्वर्गीय नाथु पिता श्री गणेश के वैध वारिसानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करें। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भली-भांति प्रमाणित है कि विवादित आराजीयात मुल पुरूष श्री नाथु पिता श्री गणेश मेघवाल के नाम खातेदारी की थी। श्री नाथु के एक पुत्र श्री बाबुडा एवं तीन पुत्रियां श्रीमती झमकु, भंवरी एवं गीता है। श्री नाथु के स्वर्गवास उपरान्त तहसीलदार, मावली द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या-92 दिनांक 05.02.1993 को श्री बाबुडा के नाम स्वीकृत किया गया, तत्समय नाथु की पुत्रियां के नाम विरासतन नामान्तरकरण में नहीं किया गया। श्री नाथु की मृत्यु के पश्चात उसकी पुत्रियों को वर्ष 1993 में विरासतन नामान्तरकरण कार्यवाही में किन परिस्थितियों में नाम अंकित नहीं किया गया, उसका कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है यद्यपि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में किये संशोधन से पूर्व पुत्रियों के हक नहीं होने के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने मत व्यक्त किये है। हिन्दु उत्तराधिकार कानून के तहत पिता की सम्पत्ति में निर्वसीयती पिता की सम्पत्ति पर पुत्र एवं पुत्रियों का समान अधिकार होता है, इस विधिक स्थिति को हम स्वीकार करते है किन्तु वर्ष 1993 में यदि विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय श्री नाथु के पुत्र श्री बाबुडा ने उसकी जीवित बहनों का नामान्तरकरण में नाम अंकित नहीं कराया तो यह श्री बाबुडा का कथित कृत्य था, इस तथ्य की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर में श्री नाथु की दो पुत्रियों प्रत्यर्थी-1 व 2 ने इस प्रमुख कथन के आधार पर ही 21 वर्ष पश्चात् नामान्तरकरण संख्या-92 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यदि श्री बाबुडा ने उसकी बहनों को हक से वंचित रखा एवं अकेले के नाम विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया तो इस कथित पड़यन्त्र के विरूद्ध उसकी बहनों द्वारा तत्समय कथित पड़यन्त्र के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी। इस कथित पड़यन्त्र में वर्तमान अपीलार्थी तो सम्मिलित नहीं थे, यह निर्विवाद है तो इस खामियाजा अपीलान्ट भुगते यह न्यायोचित नहीं है।

इस प्रकरण में हमें विशिष्ट स्थिति दृष्टिगोजर हो रही है जिसका हम विवेचन किया जाना उचित समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्रीमती झमकु एवं श्रीमती भंवरी द्वारा अपने भाई बाबुडा को पक्षकार बनाया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री बाबुडा बावबुद सूचना

अनुपस्थित रहे जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई। श्री बाबुडा द्वारा अपने नाम खातेदारी भूमि में भूमि का बेचान विभिन्न व्यक्तियों को किया गया जिसका राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण के नाम अंकन किया जाना प्रकट होता है। क्रेतागणों द्वारा क्रय की गई भूमिओं का संपरिवर्तन कराया गया। इन क्रेतागणों द्वारा पुनः भूमि को बेचान अपीलार्थी व अन्य लोगों को किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी भूमि का नगर विकास प्रन्यास से धारा-90ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत संपरिवर्तन कराया गया। अपीलार्थी एवं अन्य क्रेतागण के नाम पट्टे जारी हुए जिसकी प्रतियां दौराने अपीलीय कार्यवाही पेश की गई। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विक्रय के पश्चात् बहनों द्वारा विरासतन नामान्तरकरण के विरूद्ध 21 वर्ष अपील प्रस्तुत की गई ताकि नामान्तरकरण पश्चात् हस्तान्तरण निरस्त हो जावें तथा यह भूमि पुनः इसी परिवार के हाथ में आ जावें तथा क्रेता अपीलार्थी, जिन्होनें विक्रेता श्री बाबुडा एवं अन्य विक्रेतागण को प्रतिफल देकर भूमि क्रय की थी, वे इस भूमि से वंचित हो जाये, इस पारिवारिक दुरभिसंधी की सम्भावना के तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि यदि श्री बाबुडा ने उसकी बहनों को हक से वंचित रखा एवं अकेले के नाम विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया तो इस कथित पड़यन्त्र के विरूद्ध उसकी बहनों द्वारा तत्समय कथित पड़यन्त्र के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर क्रेता/अपीलार्थी, जो कि वर्तमान में रेकार्डेड खातेदार है, उन्हे पक्षकार संयोजित नहीं किया तथा आपस में ही स्व. श्री नाथु की पुत्रियां अपीलार्थी एवं पुत्र रेस्पोडेंट बनकर न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष 21 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की। प्रथम दृष्टया श्री नाथु के पुत्र एवं पुत्रियों द्वारा मिलीभगत से की गई कार्यवाही में दुरभिसंधी की संभावना के तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिस समय प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की उस समय वर्तमान अपील के अपीलार्थी विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार थे, जो स्पष्ट है। तत्समय के अभिलिखित खातेदार को प्रथम अपील में पक्षकार ही नहीं बनाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर ने भी इस तथ्य पर गौर नहीं किया तथा निर्णय दिनांक 04.06.2018 पारित किया जो हमारी सुविचारित राय में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से समर्थन योग्य नहीं है।

पुनः यहा यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रक्रिया एवं सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के स्वत्व सम्बन्धी विषय बिन्दु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। स्वत्व का निर्धारण एवं विनिश्चयन नियमित घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर एवं तदनुरूप विवाद्यक बिन्दु

कायम किये जाकर साक्ष्य/शहादत द्वारा किया जाना विधि में प्रस्तावित है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त प्रक्रिया में राजस्व रेकर्ड में तत्समय के अभिलिखित खातेदारों को उन्हे सुने बिना उनका नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाने की कार्यवाही नितान्त अविधिक है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान इस प्रकरण से सुंसगत होने से चस्पा होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर ने निर्णय दिनांक 04.06.2018 में उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है जो हमारी संविचारित राय में नितान्त अविधिक होने से इसका समर्थन किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 04.06.2018 आपस्त किया जाता है एवं नामान्तरकरण संख्या-92 दिनांक 05.02.1993 बहाल रखा जाता है। स्व. श्री नाथु की तीनों पुत्रियां विवादित आराजीयात में यदि अपना स्वत्व या हक रखती है तो वे सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर